

अज अदालत

उप तहसीलदार मुकाम बीकानेर

सरकार

बनाम

श्रीहराम

किस्म मुकदमा एल आर एक्ट 1956 की धारा 91

प्रकरण सं. 02 सन् 2018

फसल खरीफ/रबी सम्वत्

28.12.18

आज पत्रावली प्रस्तुत हुई अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित पत्रावली निर्णय पर ली गयी।

निर्णय

पटवारी हल्का दालावर की रिपोर्ट पर ग्राम लाखुवर

में राजकीय भूमि आराजीराज पर निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन पर काश्तकार ने जबाव प्रस्तुत किया

गया/प्रस्तुत करने में असफल रहा। सम्वत् 2074 में फसल

रबी/खरीफ में ग्राम लाखुवर में स्थित खसरा नम्बर 946

किस्म तादादी ^{600 वर्ग फीट} बीधा बिस्वा आराजी राज भूमि

पर जिन्स श्रीहराम ^{पुत्र श्रीहराम मंगल बनारस} की फसल काश्त कर श्री श्रीहराम

..... पुत्र श्रीहराम जाति ब्राह्मण निवासी लाखुवर ने

अतिचार किया। अप्रार्थी अपने इस अतिचार करने का विधीसम्मत

अधिकार प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः श्री श्रीहराम

पुत्र श्रीहराम जाति ब्राह्मण निवासी लाखुवर को

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत

अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

ग्राम में स्थित खसरा नम्बर किस्म

..... तादादी बीधा बिस्वा आराजी राज भूमि पर

जिन्स..... की फसल को राजकीय फसल घोषित

कर निरीक्षक भू अभिलेख को निलामी हेतु आदेशित

किया जाता है/यदि फसल उठा ली गयी है तो कुन्ता नामा कर

राशि वसूल कर खजाने राज जमा करवायी जावे।